


24/12/19

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अधिवक्ता
अनु० वादी व उनके अधिवक्ता का बार-बार
आवाजे दिलवाई गई, वादी व उनके अधिवक्ता
अनुपस्थित रहे हैं। वकील वादी द्वारा दिनांक
31/9/16 के आदेश की पालना आदिनों के
तक नहीं की है अतः वाद NON compliance
रुं व वादी व उनके अधिवक्ता की अदम हाजरी
व अदम पेशी में खारीज किया जाता है।
पत्रावली फैसल सुनार होकर नम्बर
स कम हो। निम्न सरे इजलास सुनारा गया।


उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

